



2026:AHC:59504

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1328/2026

संतोष यादव @ विचंडी और 2 अन्य

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....

विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : चंद्र प्रकाश मिश्रा, सुशील कुमार मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया। विद्वान ए.जी.ए. ने अवगत कराया कि नोटिस की तामील हो चुकी है।

2. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें दिनांक 12.01.2026 को विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, कुशीनगर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उक्त आदेश मुकदमा अपराध संख्या 295/2024, धाराएं 115(2), 352, 351(2), 333, 324(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर से संबंधित है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं/आवेदकों को वर्तमान प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। यह भी कहा गया कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में विलंब हुआ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, क्योंकि घटना दिनांक 03.07.2024 की बताई गई है जबकि एफ.आई.आर. दिनांक 08.07.2024 को बिना किसी उचित कारण के दर्ज की गई। यह भी तर्क दिया गया कि एक प्रतिकर वाद भी है, जिसमें अपीलकर्ताओं की ओर से सूचनाकर्ता के पक्ष के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। आगे यह भी कहा गया कि घायल को लगी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। साथ ही, एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत अपराध स्थापित करने के आवश्यक तत्व भी अनुपस्थित हैं। यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता दिनांक 12.01.2026 से जेल में निरुद्ध हैं तथा अपीलकर्ता संख्या 2 एवं 3 वृद्ध हैं और वृद्धावस्था संबंधी रोगों से पीड़ित हैं।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया गया तथा आक्षेपित आदेश सहित संपूर्ण अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, अभियुक्त की संलिप्तता तथा संभावित दंड की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता जमानत योग्य है।

7. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलकर्ताओं की जमानत प्रार्थना को अस्वीकार करने वाला आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है।

8. अतः अपीलकर्ता संतोष यादव उर्फ विचंडी, हीरा यादव एवं सुरेन्द्र उर्फ सुरेन को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त, को एक निजी मुचलका एवं समान राशि के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन हों, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश निर्गत करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा—

- (i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।
- (ii) अपीलकर्ता साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्षियों को प्रभावित अथवा भयभीत नहीं करेगा।
- (iv) अपीलकर्ता किसी भी प्रकार का अपराध कारित नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का उद्घाटन करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।

(vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(vii) अपीलकर्ता उन तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, साक्ष्य हेतु अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) अपीलकर्ता धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन अंकित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, अभियोजन को सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत प्रार्थना के निर्णय तक सीमित हैं तथा प्रकरण के गुण-दोष पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेंगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रहते हुए स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव)

23 मार्च, 2026

रवींद्र के. सिंह